न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 358 दर्ज तिथिः—14.08.2024

प्रार्थी		अप्रार्थी
उदाराम पुत्र हुकमाराम प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खडाली तहसील गुड़ामालानी	बनाम	1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. ग्राम पंचायत खडाली जरिये सरपंच
जरिये अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई		जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—131, 136
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956
निर्णय तिथिः—17.01.2025

—ःनिर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी राजकीय विद्यालय की आराजी खसरा संख्या 94 / 1 / 0.8094 है0 मौजा देवल नगर पटवार मण्डल खडाली तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी पर विद्यालय भवन, खेल मैदान एवं चारदीवारी बनी हुई है। विद्यालय की आराजी की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में डामर सड़क के लगते हुए किया जाना अपेक्षित था। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा इसके विपरीत तरमीम किये जाने से मौका एवं लट्ठा ट्रैस में भिन्नता आ गई। अतः विद्यालय की उक्त आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना—पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2319 दिनांक 21.11.2024 द्वारा प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट का उद्धरण निम्नानुसार हैः—

- उक्त आराजी के खसरे की तरमीम सही रकबे व कब्जे के अनुसार सही अंकित की गई है।
- उक्त आराजी के मूल खसरे से बने हाल खसरों की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित नहीं है। तरमीम कब्जा अनुसार सही अंकित है।
- अतः ग्राम देवलनगर के खसरा संख्या 94/1 रकबा 0.8094 है0 की तरमीम यथावत रखा जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:35 IST
Reason: SelfAttested

3. तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान राजस्व नक्शा में मौका अनुसार तरमीम सही दर्ज किया होने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का उक्त राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:35 IST
Reason: SelfAttested